फर्द अहकाम

[illegible]लय S.D.O.-Ist JPR. वन्दना **बनाम** कविता

[illegible]या ता

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
19/08/19	पत्रावली पेश हुई। उभय-पक्ष/अधिवक्ता अनु०। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 30/8/19 को पेश हो।	
30/8/19	पत्रावली पेश हुई। उभय-पक्ष/अधिवक्ता अनु० वास्ते बहस दिनांक 06/9/19 को पेश हो।	
	आज दिनांक 06/9/19 को पत्रावली पेश हुई पी.ओ.सा. अवकाश/अन्य राजकार्य पर/कंडोलैंस है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16/9/19 को पेश हो।	
	आज दिनांक 16/9/19 को पत्रावली पेश हुई पी.ओ.सा. अवकाश/अन्य राजकार्य पर/कंडोलैंस है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18/9/19 को पेश हो।	
18.9.19	पत्रावली पेश हुई। उभय-पक्ष/अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय-पक्ष-अधिवक्ता को भी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा.पत्र के क्रम में सुना गया। प्रार्थिया/वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद तकासमें का वाद होने पर प्राथमिक-डिक्री की गई है। उभय-पक्ष अधिवक्ता द्वारा दौराने सुनवाई अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा.पत्र के निस्तारण पर मौखिकरूप से सहमति प्रदान की गई। न्यायालय आज्ञानुसार ग्राम भावगढ़ बन्ध्या तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त आराजीयात् खसरा नम्बर 351 रकबा 0.9500 हैक्टेयर पर उभय-पक्षों को, वादग्रस्त आराजी-यात के विक्रय न करने, निर्माण नहीं करने विभाजन व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु, ता-वाद निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल-शुमार नम्बर से कम हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उप खण्ड अधिकारी जयपुर (प्रथम), जयपुर	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2019.11.08 16:58:35 IST
Reason: SelfAttested